रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2018/आषाढ़ 29, 1940
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 666(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 44कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये 20 अगस्त ,2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट II के प्ररूप सं. 3गघ में,--

(i) क्रम संख्यांक 4 में,—

(क) "विक्रय कर" शब्दों के पश्चात् "माल और सेवा कर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या" शब्दों के पश्चात् "माल और सेवा कर संख्यांक या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्यांक 19 की सारणी में प्रविष्टी "32कग" की कतार के पश्चात् "32कघ" की कतार वाली प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(iii) क्रम संख्यांक 24 में "32कग या" शब्दों के पश्चात् "32कघ या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iv) क्रम संख्यांक 26 में "या (च)" शब्दों के स्थान पर ",(च) या (छ)" शब्द रखे जाएंगे;

(v) क्रम संख्यांक 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"29क (क) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) में यथा निर्दिष्ट 'अन्य स्रोतों से आय' मद के अधीन क्या किसी रकम को प्रभार्य आय के रूप में सम्मिलित किया जाना है? (हां/नहीं)

(ख) यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें:

(i) आय की प्रकृति:

(ii) उसकी रकम :

29ख (क) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) में यथा निर्दिष्ट 'अन्य स्रोतों से आय' मद के अधीन क्या किसी रकम को प्रभार्य आय के रूप में सम्मिलित किया जाना है? (हां/नहीं)

(ख) यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें:

(i) आय की प्रकृति:

(ii) उसकी रकम(रुपए में) :

(vi) क्रम संख्यांक 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"30क (क) क्या धारा 92 गड. की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट अंतरण कीमत में प्राथमिक समायोजन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया है?(हां/नहीं)

(ख) यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें:

(i) धारा 92 गड. की उपधारा (1) के किस खंड के अधीन प्राथमिक समायोजन किया गया है :

(ii) प्राथमिक समायोजन की रकम(रुपए में) :

(iii) क्या धारा 92 गड. की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संबद्ध उपक्रम के पास उपलब्ध अतिरिक्त धन को भारत में संप्रत्यावर्तित करना अपेक्षित है? (हां/नहीं)

(iv) यदि हां तो क्या अतिरिक्त धन को विहित समय के भीतर संप्रत्यावर्तित किया गया है?(हां/नहीं)

(v) यदि नहीं तो ऐसे अतिरिक्त धन पर अभ्यारोपित ब्याज आय की रकम (रुपए में) जिसे विहित समय के भीतर संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया है:

30ख (क) क्या निर्धारिती ने धारा 94ख की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट 1 करोड़ रुपए से अधिक की ब्याज या समान प्रकृति का व्यय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपगत किया है?(हां/नहीं)

(ख) यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे दें:-

(i) ब्याज या समान प्रकृति के व्यय द्वारा उपगत रकम (रुपए में):

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ब्याज, कर, अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण (ईबीआईटीडीए) से पूर्व उपार्जन (रुपए में):

(iii) ऊपर (i)के अनुसार ब्याज या समान प्रकृति के व्यय की रकम (रुपए में) जो ऊपर (ii) के अनुसार ईबीआईटीडीए 30% से अधिक है:

(iv) धारा 94ख की उपधारा (4) के अनुसार अग्रणीत ब्याज व्यय के ब्यौरे:

नि.व.	रकम (रुपए में)

(v) धारा 94ख की उपधारा (4) के अनुसार अग्रणीत ब्याज व्यय के ब्यौरे:

नि.व.	रकम (रुपए में)

30ग (क) क्या निर्धारिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 96 में यथानिर्दिष्ट अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव किया है ?(हां/नहीं)

(ख)) यदि हां तो कृपया निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करें:-

(i) अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव की प्रकृति:

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ठहराव के सभी पक्षकारों को उद्भूत कुल कर फायदे की रकम(रुपए में):";

(vii) क्रम संख्यांक 31 में,-

(अ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(खक) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान एक दिन में किसी व्यक्ति से धारा 269 धन में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कुल रकम में प्रत्येक प्राप्ति की या किसी व्यक्ति से एकल संव्यवहार के संबंध में या एक समय या अवसर से संबंधित संव्यवहारों के संबंध में विशिष्टियां, जहां ऐसी प्राप्ति चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा से भिन्न हैं :-

(i) संदाय करने वाले का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक(यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो);

(ii) संव्यवहार की प्रकृति;

(iii) प्राप्ति की रकम (रुपए में);

(iv) प्राप्ति की तारीख;

"(खख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान एक दिन में किसी व्यक्ति से धारा 269 धन में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कुल रकम में प्रत्येक प्राप्ति की या किसी व्यक्ति से एकल संव्यवहार के संबंध में या एक समय या अवसर से संबंधित संव्यवहारों के संबंध में विशिष्टियां, जहां ऐसी प्राप्ति चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा होती है जो खाता संदाय चेक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट नहीं हैं :-

(i) संदाय करने वाले का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक(यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो);

(ii) प्राप्ति की रकम (रुपए में);

(खग) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान एक दिन में किसी व्यक्ति को धारा 269 धन में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कुल रकम में प्रत्येक संदाय की या किसी व्यक्ति को एकल संव्यवहार के संबंध में या एक समय या अवसर से संबंधित संव्यवहारों के संबंध में विशिष्टियां, जो चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा से भिन्न हैं:-

(i) संदाय करने वाले का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो);

(ii) संव्यवहार की प्रकृति;

(iii) संदाय की रकम (रुपए में);

(iv) प्राप्ति की तारीख;

(खघ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान एक दिन में किसी व्यक्ति को धारा 269 धन में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कुल रकम में प्रत्येक संदाय की या किसी व्यक्ति को एकल संव्यवहार के संबंध में या एक समय या अवसर से संबंधित संव्यवहारों के संबंध में विशिष्टियां, जो चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा होता है जो खाता संदाय चेक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट नहीं हैं:-

(i) संदाय करने वाले का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो);

(ii) संदाय की रकम (रुपए में);

(खक), (खख), (खग) और (खघ) की विशिष्टियों को सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक, सहकारी बैंक द्वारा प्राप्ति या संदाय के मामले में या धारा 269धध में निर्दिष्ट संव्यवहारों के मामले में या अधिसूचना सं. का.आ. 2065(अ), तारीख 3 जुलाई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में देने की आवश्यकता नहीं है ";

(आ) मद (ग) की उपमद (v) में "लिया गया या स्वीकृत" शब्दों के स्थान पर "पुन:संदत्त" शब्द रखा जाएगा;

(इ) मद (घ) की उपमद (ii) में "की रकम" शब्दों के स्थान पर "का पुन:संदाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ई) मद (ड.) की उपमद (ii) में "की रकम" शब्दों के स्थान पर "का पुन:संदाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(viii) क्रम संख्यांक 34 में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) क्या निर्धारिती से कटौती किए गए कर या संगृहित किए गए कर के कथन को प्रस्तुत करना अपेक्षित है । यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें:-

कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टीएएन)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख, यदि प्रस्तुत किया गया हो	क्या कटौती किए गए या संग्रहित किए गए कर के कथन में सभी ब्यौरों/संव्यवहारों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट है जिन्हें रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है । यदि नहीं तो कृपया ब्यौरों/संव्यवहारों की सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया है ।";

(ix) क्रम संख्यांक 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" 36क (क) क्या निर्धारिती ने लाभांश की प्रकृति की कोई रकम प्राप्त की है जैसा कि धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ड.) में निर्दिष्ट है?(हां/नहीं)

(ख) यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :-

(i) प्राप्त रकम (रुपए में);

(ii) प्राप्ति की तारीख:";;

(x) क्रम संख्यांक 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"42(क) क्या निर्धारिती से प्ररूप सं. 61 या प्ररूप सं. 61क या प्ररूप सं. 61ख में कथन प्रस्तुत करना अपेक्षित है (हां/नहीं)

(ख) यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें:-

आय कर विभाग रिपोर्ट अस्तित्व पहचान संख्यांक	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख, यदि प्रस्तुत किया गया हो	क्या प्ररूप में सभी ब्यौरों/संव्यवहारों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट है जिन्हें रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है । यदि नहीं तो कृपया ब्यौरों/संव्यवहारों की सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया है ।";

43(क) क्या निर्धारिती या उसका मूल अस्तित्व या वैकल्पिक रिपोर्टिंग अस्तित्व धारा 286 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायी है (हां/नहीं)

(ख) यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें:-

(i) क्या रिपोर्ट निर्धारिती या उसके मूल अस्तित्व या वैकल्पिक रिपोर्टिंग अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की गई है;

(ii) मूल अस्तित्व का नाम

(iii) वैकल्पिक रिपोर्टिंग अस्तित्व का नाम (यदि लागू हो)

(v) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख

44 माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत नहीं किए गए अस्तित्वों के कुल व्यय का विभाजन

क्र.सं.	वर्ष के दौरान उपगत व्यय की कुल रकम	माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों के संबंध में व्यय				माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किए गए अस्तित्वों के संबंध में व्यय
		माल और सेवा कर से छूट प्राप्त मालों और सेवाओं से संबंधित	प्रशमन स्कीम के अधीन आने वाले अस्तित्वों से संबंधित	अन्य रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों से संबंधित	रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों को कुल संदाय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)"

[अधिसूचना सं. 33/2018/फा.सं. 370142/9/2018-टीपीएल]

पीतांबर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि 647(अ) तारीख 13.07.2018 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2018

G.S.R. 666(E). – In exercise of the powers conferred by section 44AB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Income-tax Act), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income–tax (8th Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the 20th day of August, 2018.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, in Form No. 3CD,-

(i) in serial number 4,-

(a) after the words "sales tax,", the words "goods and services tax," shall be inserted;

(b) after the words "registration number or", the words "GST number or" shall be inserted;

(ii) in serial number 19, in the table, after the row with entry "32AC", the row with entry "32AD" shall be inserted;

(iii) in serial number 24, after the words "32AC or", the words "32AD or" shall be inserted;

(iv) in serial number 26, for the words "or (f)", the words ", (f) or (g)" shall be substituted;

(v) after serial number 29 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"29A. (a) Whether any amount is to be included as income chargeable under the head 'income from other sources' as referred to in clause (ix) of sub-section (2) of section 56? (Yes/No)

(b) If yes, please furnish the following details:

(i) Nature of income:

(ii) Amount thereof:

29B. (a) Whether any amount is to be included as income chargeable under the head 'income from other sources' as referred to in clause (x) of sub-section (2) of section 56? (Yes/No)

(b) If yes, please furnish the following details:

(i) Nature of income:

(ii) Amount (in Rs.) thereof:";

(vi) after serial number 30 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"30A. (a) Whether primary adjustment to transfer price, as referred to in sub-section (1) of section 92CE, has been made during the previous year? (Yes/No)

(b) If yes, please furnish the following details:-

(i) Under which clause of sub-section (1) of section 92CE primary adjustment is made?

(ii) Amount (in Rs.) of primary adjustment:

(iii) Whether the excess money available with the associated enterprise is required to be repatriated to India as per the provisions of sub-section (2) of section 92CE? (Yes/No)

(iv) If yes, whether the excess money has been repatriated within the prescribed time (Yes/No)

(v) If no, the amount (in Rs.) of imputed interest income on such excess money which has not been repatriated within the prescribed time:

30B. (a) Whether the assessee has incurred expenditure during the previous year by way of interest or of similar nature exceeding one crore rupees as referred to in sub-section (1) of section 94B? (Yes/No)

(b) If yes, please furnish the following details:-

(i) Amount (in Rs.) of expenditure by way of interest or of similar nature incurred:

(ii) Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) during the previous year (in Rs.):

(iii) Amount (in Rs.) of expenditure by way of interest or of similar nature as per (i) above which exceeds 30% of EBITDA as per (ii) above:

(iv) Details of interest expenditure brought forward as per sub-section (4) of section 94B:

A.Y.	Amount (in Rs.)

(v) Details of interest expenditure carried forward as per sub-section (4) of section 94B:

A.Y.	Amount (in Rs.)

30C. (a) Whether the assessee has entered into an impermissible avoidance arrangement, as referred to in section 96, during the previous year? (Yes/No)

(b) If yes, please specify:-

(i) Nature of the impermissible avoidance arrangement:

(ii) Amount (in Rs.) of tax benefit in the previous year arising, in aggregate, to all the parties to the arrangement:";

(vii) in serial number 31,-

(A) after clause (b), the following clauses and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"(ba) Particulars of each receipt in an amount exceeding the limit specified in section 269ST, in aggregate from a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of transactions relating to one event or

occasion from a person, during the previous year, where such receipt is otherwise than by a cheque or bank draft or use of electronic clearing system through a bank account:-

(i) Name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee) of the payer;

(ii) Nature of transaction;

(iii) Amount of receipt (in Rs.);

(iv) Date of receipt;

(bb) Particulars of each receipt in an amount exceeding the limit specified in section 269ST, in aggregate from a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person, received by a cheque or bank draft, not being an account payee cheque or an account payee bank draft, during the previous year:—

(i) Name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee) of the payer;

(ii) Amount of receipt (in Rs.);

(bc) Particulars of each payment made in an amount exceeding the limit specified in section 269ST, in aggregate to a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion to a person, otherwise than by a cheque or bank draft or use of electronic clearing system through a bank account during the previous year:-

(i) Name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee) of the payee;

(ii) Nature of transaction;

(iii) Amount of payment (in Rs.);

(iv) Date of payment;

(bd) Particulars of each payment in an amount exceeding the limit specified in section 269ST, in aggregate to a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion to a person, made by a cheque or bank draft, not being an account payee cheque or an account payee bank draft, during the previous year:—

(i) Name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee) of the payee;

(ii) Amount of payment (in Rs.);

(Particulars at (ba), (bb), (bc) and (bd) need not be given in the case of receipt by or payment to a Government company, a banking Company, a post office savings bank, a cooperative bank or in the case of transactions referred to in section 269SS or in the case of persons referred to in Notification No. S.O. 2065(E) dated 3rd July, 2017)";

(B) in item (c), in sub-item (v), for the words "taken or accepted", the word "repaid" shall be substituted;

(C) in item (d), in sub-item (ii), after the words "amount of", the words "repayment of" shall be inserted;

(D) in item (e), in sub-item (ii), after the words, "amount of", the words "repayment of" shall be inserted;

(viii) in serial number 34, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

"(b) whether the assessee is required to furnish the statement of tax deducted or tax collected. If yes, please furnish the details:

Tax deduction and collection Account Number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all details/transactions which are required to be reported. If not, please furnish list of details/transactions which are not reported.";

(ix) after serial number 36 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"36A. (a) Whether the assessee has received any amount in the nature of dividend as referred to in sub-clause (e) of clause (22) of section 2? (Yes/No)

(b) If yes, please furnish the following details:-

(i) Amount received (in Rs.):

(ii) Date of receipt:";

(x) after serial number 41 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"42. (a) Whether the assessee is required to furnish statement in Form No.61 or Form No. 61A or Form No. 61B? (Yes/No)

(b) If yes, please furnish:

Income-tax Department Reporting Entity Identification Number	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the Form contains information about all details/ transactions which are required to be reported. If not, please furnish list of the details/transactions which are not reported.

43. (a) Whether the assessee or its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish the report as referred to in sub-section (2) of section 286 (Yes/No)

(b) if yes, please furnish the following details:

(i) Whether report has been furnished by the assessee or its parent entity or an alternate reporting entity

(ii) Name of parent entity

(iii) Name of alternate reporting entity (if applicable)

(iv) Date of furnishing of report

44. Break-up of total expenditure of entities registered or not registered under the GST:

Sl. No.	Total amount of Expenditure incurred during the year	Expenditure in respect of entities registered under GST				Expenditure relating to entities not registered under GST
		Relating to goods or services exempt from GST	Relating to entities falling under composition scheme	Relating to other registered entities	Total payment to registered entities	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)"

[Notification No. 33/2018/F.No. 370142/9/2018-TPL]

PITAMBAR DAS, Director (Tax Policy and Legislation)

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E) dated the 26th of March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R 647 (E) dated 13.07.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.07.23 16:31:23 +05'30'